न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-64/2023

राज्य

बनाम्

सुरेश साव वगैरह

—: आदेश :—

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 1019/अप0शा0 दिनांक 09.05.2023 से बालुमाथ थाना काण्ड संख्या–65/2023 दिनांक–29.04.2023 में जप्त वाहनों को राजसात की कार्रवाई करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

यह वाद बालुमाथ थाना काण्ड संख्या–65/2023 दिनांक–29.04.2023 से संबंधित है।

"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 11(v) में उल्लेखित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court." एवं नियम 9 (i) में उल्लेखित है कि No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS.

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के आवेदन के आधार पर बालुमाथ थाना काण्ड संख्या–65/2023 दिनांक–29.04.2023 दर्ज किया गया। जिसमें कहा गया है कि लातेहार जिलान्तर्गत खनीजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष छापामारी अभियान

में दिनांक 29.04.2023 को समय करीब–05:30 बजे अपराह्न में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स के सदस्यों के संयुक्त औचक निरीक्षण/छापामारी के क्रम में बालूमाथ थानान्तर्गत पांकी मोड़ के पास मोटरसाईकल से कोयला का परिवहन करते पकड़ा गया। उक्त मोटरसाईकल के चालकों से नाम एवं पता पुछने पर 1. JH19C-5754 वाहन मालिक सुरेश साव, पिता–शंभू साव, सा0–तेली टोला, बालूमाथ, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार 2. JH03K-3175 वाहन मालिक बिनोद कुमार, पिता–राजेन्द्र साव, सा0–बालूमाथ, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार 3. JH03AH-6365 मालिक सविता देवी, पति–बुधेश्वर राम, सा0–गोबरीटोला, बालूमाथ, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार 4. JH01BD-6444 मालिक पप्पु कुमार साव, पिता–राम लखन साव, सा0–न्यू मधुकम रोड, नं0–5, पो0–हेहल, थाना–सुखदेव नगर, जिला–रांची 5. JH13C-5081 मालिक प्रदीप कुमार, पिता–बिरेन्द्र साव, सा0–गोबरीटोला, बालूमाथ, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार बताया। प्रत्येक मोटरसाईकिल पर करीब–200–200 किलोग्राम कोयला लदा हुआ पाया। तत्पश्चात पकड़ाये मोटरसाईकल चालकों से कोयला से संबंधित कागजात की मांग करने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् उक्त पकाड़ाये मोटरसाईकिल पर लदे अवैध कोयला को वहां उपस्थित दो स्वंतत्र गवाहों के समक्ष विधिवत् जप्ति सूची बनाकर जप्त किया गया। उक्त सभी जप्त मोटरसाईकिल पर लदे अवैध कोयला को बालूमाथ थाना परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया। कोयला की चोरी करना एवं खरीद बिक्री करना एक संज्ञेय अपराध है। काण्ड में जप्त उक्त मोटरसाईकल एवं उसमें लदे लगभग 10 क्विंटल अवैध कोयला के विरूद्ध राजसात की कार्रवाई करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया।

उपरोक्त वाद में विपक्षीगण को नोटिस निर्गत कर उन्हें तामिला कराया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् उपस्थित होकर विपक्षीगण द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से अपना बचाव पक्ष दाखिल किया गया, जो इस प्रकार है–

मोटर साईकल 1. JH19C-5754 2. JH03K-3175 3. JH03AH-6365 4. JH01BD-6444 5. JH13C-5081 के विरूद्ध बालूमाथ थाना काण्ड

संख्या–65/2023 दिनांक 29.04.2023 धारा–379, 414 भा0द0वि 21 MMDR अधिनियम 30(ii) कोयला खदान अधिनियम तथा 13 झारखण्ड खान नियमावली 2017 के तहत् दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान लंबित है तथा विपक्षीगण माननीय व्यवहार न्यायालय, लातेहार द्वारा जमानत पर रीहा हो चुके है। विपक्षीगण बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–65/2023 में पूर्णतः निर्दोश है तथा काण्ड से उनका कोई लेना देना नहीं है। उपरोक्त लंबित कार्यवाही का प्रावधान MMDR अधिनियम 1957 संशोधित अधिनियम 2015 झारखण्ड सरकार की अधिसूचना 27 जनवरी 2018 नियमावली ॥ (V) के अन्तर्गत माननीय उपायुक्त महोदय को वाहन राजसात करने को शक्ति प्रदान करता है। MMDR अधिनियम 1957 की धारा–21 (4A) के प्रावधान के अन्तर्गत वाहन अधिग्रहण राजसात का अधिकार उसी समक्ष न्यायालय पर निहित है जो कि उपरोक्त अभियोग का संज्ञान लेने में सक्षम है। MMDR अधिनियम 1957 की धारा–22 के अन्तर्गत माननीय मुख्य दण्डाधिकारी/न्यायिक दण्डाधिकारी ही उपरोक्त अधिनियम के अपराध का संज्ञान लेने के सक्षम पदाधिकारी है। MMDR अधिनियम 1957 की धारा–21 (4A) तथा MMDR अधिनियम 1957 संशोधित वर्ष 2015 झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक 27.01.2018 के नियम–II (V) आपस में विरोधाभाषी है कि वाहन राजसात की कार्यवाही माननीय उपायुक्त महोदय के न्यायालय या माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में चलना उचित होगा या नहीं। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची ने नवीन कुमार चौधरी बनाम् झारखण्ड राज्य दिनांक 03.03.2021 को निर्गत अपने आदेश में स्पष्ट आदेशित किया है कि वाहन से संबंधित राजसात की कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा धारा–21 (IV-A) तथा 22 के आलोक में होना ही न्यायोचित होगा। MMDR अधिनियम की धारा–23-C में निहित शक्ति के आलोक में उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 27.01.2018 को निर्गत करते हुए नियम ॥ (V) के अन्तर्गत माननीय उपायुक्त महोदय के न्यायालय को भी वाहन राजसात की शक्ति प्रदान की गयी है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची ने अपने उपरोक्त आदेश की कंडिका 7 में स्पष्ट अवधारित किया है कि यह पूर्णतः

स्थापित कानून है कि विशेष अधिनियम का अधिकार क्षेत्र ज्यादा है और राज्य सरकार द्वारा पारित कोई भी आदेश से विशेष अधिनियम को वंचित नहीं किया जा सकता है तथा कार्यपालक आदेश या अधिसूचना विशेष अधिनियम की शक्ति को कम नहीं कर सकता है। उक्त कानून के प्रावधान तथा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में माननीय उपायुक्त के न्यायालय में राजसात की कार्यवाही लंबित रखना न्यायोचित नहीं है चुकि अधिसूचना दिनांक 27.01.2018 झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित है, जबकि MMDR अधिनियम 1957 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित है जो सम्पूर्ण भारत में लागू है तथा दोनों आपस में विरोधाभाषी है। MMDR अधिनियम 1957 की धारा–21 (4A) एवं 22 के आलोक में वाहन राजसात की कार्यवाही माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में चलाया गया ही कानून के प्रावधान के आलोक में न्यायोचित तथा विधि सम्मत होगा। माननीय उपायुक्त के न्यायालय के आदेश के आलोक में माननीय उपायुक्त महोदय के न्यायालय में वाहन का राजसात की कार्यवाही चलाना विधि सम्मत पोषणीय नहीं है। विपक्षीगण बहुत ही गरीब है तथा कृषि कार्य हेतु अपने वाहन की सख्त जरूरत होती है। बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–65/2023 में जप्त उपरोक्त मोटरसाईकल को मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4(1A) एवं "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 9 (i) No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS. एव नियम 11(v) में वर्णित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

मोटरसाईकल से परिवहन किये जा रहे कोयला का मात्रा कम है तथा प्रथम दृष्टया ये लोग गरीब व्यक्ति लग रहे हैं। इनलोगों की यह पहली घटना है। इनलोगों के विरूद्ध इस वाद के अलावे पूर्व से कोयला चोरी का अपराधिक मामला दर्ज होने का साक्ष्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के समीक्षोपरांत बालुमाथ थाना काण्ड संख्या–65/2023 दिनांक–29.04.2023 में जप्त मोटरसाईकल रजि0 नं0 1. JH19C-5754 वाहन मालिक सुरेश साव, पिता–शंभू साव, सा0–तेली टोला, बालूमाथ, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार 2. JH03K-3175 वाहन मालिक बिनोद कुमार, पिता–राजेन्द्र साव, सा0–बालूमाथ, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार 3. JH03AH-6365 मालिक सविता देवी, पति–बुधेश्वर राम, सा0–गोबरीटोला, बालूमाथ, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार 4. JH01BD-6444 मालिक पप्पु कुमार साव, पिता–राम लखन साव, सा0–न्यू मधुकम रोड, नं0–5, पो0–हेहल, थाना–सुखदेव नगर, जिला–रांची 5. JH13C-5081 मालिक प्रदीप कुमार, पिता–बिरेन्द्र साव, सा0–गोबरीटोला, बालूमाथ, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार को मो0– 15,000/– रूपये (प्रत्येक मोटरसाईकल) अर्थ दण्ड सरकारी कोष (JIMMS) में भुगतान करने तथा 10,000/– रूपये का बंध पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त कड़ी चेतावनी के साथ राजसात की कार्रवाई से मुक्त किया जाता है।

बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–65/2023 में जप्त मोटरसाईकल के साथ पकड़े गये 10 क्विंटल कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार जप्त कोयले की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.04.16 11:30:07 +05:30
Location: 192.168.252.92